संख्या-272/2018/2979/71-1-2018-ग-08/2018टी0सी0-।।।

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनाँक 12 अक्टूबर, 2018

विषय:- राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज एवं आजमगढ़ में सृजित चतुर्थ श्रेणी (आउटसोर्सिंग) के 68 पदों को समाप्त करते हुए बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर हेतु सृजित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0-1/2018/2652, दिनॉक 24.08.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में ए0ई0एस0/जे0ई0 बीमारी से पीडित मरीजों को समुचित उपचार सुविधा मुहैया कराए जाने हेतु मेडिकल कालेज, आजमगढ़ एवं कन्नौज के संचालनार्थ क्रमश: शासनादेश संख्या-325/71-1-2009-जी-263/2006, दिनॉक 16.01.2009 द्वारा सृजित चतुर्थ श्रेणी (आउटसोर्सिंग) के पदों में से 28 पद एवं शासनादेश संख्या-638/71-1-2008-जी-264/2008, दिनॉक 05.03.2008 द्वारा सृजित चतुर्थ श्रेणी (आउटसोर्सिंग) के पदों में से 40 पद कुल 68 पदों को समाप्त कर, उक्त 68 पदों को निम्नलिखित तालिका अनुसार मेडिकल कालेज, गोरखपुर हेतु सृजित करते हुए दिनॉक 28.02.2019 तक, बशर्ते कि इसे बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, चलते रहने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

क्र0	पदनाम	मेडिकल कालेज, आजमगढ़ से समाप्त किए जाने वाले पदों की संख्या	मेडिकल कालेज, कन्नौज से समाप्त किए जाने वाले पदों की संख्या	मेडिकल कालेज, गोरखपुर हेतु सृजित किए जाने वाले पदों की संख्या
1	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (वार्ड ब्वाय, अटेन्डेण्ट, चौकीदार आदि)	28	40	68

2- उक्त् के पश्चात् मेडिकल कालेज आजमगढ़ के लिए सृजित कुल 279 पदों में से 28 पद तथा मेडिकल कालेज, कन्नौज के लिए सृजित कुल 250 पदों में से 40 पद समाप्त माने जायेंगे।

3- मेडिकल कालेज, आजमगढ़ तथा कन्नौज, जिनकी सहमति से पद समाप्त करते हुए स्थानान्तरित किए जा रहे है, के द्वारा भविष्य में समाप्त हुए पदों के सृजन की मांग नहीं की जायेगी।

4- स्थानान्तरित पदों पर कार्य नियमानुसार पारदर्शी तरीके से चयनित संस्था के माध्यम से आउटसोर्सिंग के द्वारा कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- इस संबंध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा- प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0343-राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-2021/दस-2018, दिनॉक 03 अक्टूबर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव।

संख्या:-272/2018/2979(1)/71-1-2018 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़/कन्नौज/गोरखपुर।
4- कोषाधिकारी, आजमगढ़/कन्नौज/गोरखपुर।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, आजमगढ़/कन्नौज/गोरखपुर।
6- नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।